झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुदान हेतु आवेदित स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के लिए पंजीकृत बंधक विलेख जमा करने से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 26/2014

एतद् द्वारा राज्यान्तर्गत सभी स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों के सचिव/प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अधिनियम (अनुदान), 2004 तथा झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली 2004 के उपबन्धों के अधीन स्थायी मान्यता प्राप्त इंटर महाविद्यालयों से अनुदान हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 22.08.2013 के द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसके कंडिका 2(ज)(इंटर के लिए) के अनुसार विनिर्दिष्ट बंधक विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना था।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 12/अ. 5-04/2013/778 दिनांक 26.05.2014 के द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान हेतु समर्पित आवेदन के साथ बंधक विलेख पंजीकृत नहीं है।

एतद् द्वारा संबंधितों को सूचित किया जाता है कि दिनांक **05.06.2014** तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रकाशित यथा संदर्भित विज्ञप्ति में यथा निर्दिष्ट बंधक विलेख पंजीकृत कराकर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि में पंजीकृत बंधक विलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अनुदान से वंचित होने की जवाबदेही झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की नहीं होगी।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(सुशील कुमार राय)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/कॉ. स्था./13076/11/SECY/260/14
Dt. 30.05.2014
D.O.P. 31.05.2014